

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 13/09 विद्युत

म०प्र०म०क्षे०वि०वि०कंपनी लिमिटेड मौ

जिला भिण्ड म०प्र०

द्वारा कनि०आर०एस०गौर

-----अभियोगी

बनाम

मुंशीसिंह वरार पुत्र गोपी सिंह वरार निवासी

—ग्राम रतवा थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०

-----आरोपी

परिवादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता

आरोपी द्वारा श्री ए०बी०पाराशर अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 27-10-2014 को घोषित किया गया //

1— आरोपी का विचारण धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किया जा रहा है । उस पर आरोप है कि दिनांक 2-2-08 को दिन में 4:50 बजे ग्राम रतवा में स्थित अपने खेत से विद्युत कंपनी की एल०टी०लाइन में सीधे तीन तार जोड़कर खेत में 6 एच०पी० की मोटर द्वारा सिंचाई करके विद्युत की चोरी करना पाया गया ।

2— परिवादी विद्युत विभाग का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि सतर्कता टीम के द्वारा दिनांक 2-2-08 को समय 4:50 पी०एम० स्थान रतवा खेत का आकस्मिक निरीक्षण आरोपी के खेत में विद्युत की अवैध उपयोग कर आशंका के चलते किया तो आरोपी द्वारा 11 केवी उझावल फीडर पर कोमलसिंह के खेत में अवैध रूप से संस्थापित 63 केवी ट्रांसफार्मर की एल०टी० लाइन से 7 बल्ली पर तीन तीन तार नंगे एलीमुनियम लगभग 400 फीट की दूरी से जोड़कर 6 एच०पी० की सिंचाई पंप विद्युत के अवैध उपयोग से चलते पाये गये । सतर्कता टीम के द्वारा मौके पर ही विद्युत के अवैध उपयोग का पंचनामा तैयार किया जिस पर पूरी टीम ने पंचनामा की सत्यता के संबंध में हस्ताक्षर किये तथा स्वतंत्र साक्षी विक्रमसिंह द्वारा पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर किये । दिनांक 2-2-08 को सतर्कता टीम द्वारा की गई जांच के

आधार पर आरोपी मुंशी सिंह द्वारा विद्युत का अवैध उपयोग कर अभियोगी को 6 एच०पी० सिंचाई पंप चलते पाया गया । मौके से तीन तार एल्युमीनियम के जप्त किये तथा बिलिंग की विचरण की एक प्रति आरोपी को अंतिम निर्धारण के रूप में दी गयी तथा जांच बिल के संबंध में 7 दिवस के भीतर आपत्ति आमंत्रित की गयी । परिवादी आरोपी से 15762 रुपये एवं 6000 रुपये कुल राशि 21762 रुपये उर्जा क्षति नियमानुसार समझौता राशि प्राप्त करने का अधिकारी है । आरोपी का कथित अपराधिक कृत्य धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दण्डनीय होने से तथा आरोपी के द्वारा अवैध रूप से 6 एच०पी० सिंचाई पंप चलाकर विद्युत का अप्राधिकृत रूप से उपयोग करने से उसके विरुद्ध कनिष्ठ यंत्री आर०एस०गौर के द्वारा परिवादपत्र इस न्यायालय में पेश किया गया ।

3- आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम 2003 विद्युत अधिनियम के आरोप लगाये जाने पर पढकर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा ।

4- अभियुक्तपरीक्षण धारा 313 द०प्र०सं० के तहत किये जाने पर आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया ।

5- प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 2-2-08 को दिन में 4:50 बजे ग्राम रतवा में स्थित अपने खेत से विद्युत कंपनी की एल०टी०लाइन में सीधे तीन तार जोडकर खेत में 6 एच०पी० की मोटर द्वारा सिंचाई करके विद्युत की चोरी की गयी ?

// निष्कर्ष के आधार //

6- परिवादी पक्ष की ओर से राजेश शर्मा अ०सा००१, पी०के०हजेला अ०सा००१ए कार्यपालन यंत्री तथा आर०एस०गौड अ०सा००३ के कथन कराये हैं। साक्षी पी०के०हजेला अ०सा००१ए के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 2-2-08 को चेकिंग दल के साथ जिसमें एस०के०सक्सेना कार्यपालन यंत्री सतर्कता, राजेश शर्मा सहायक यंत्री, आर०एस०गौर कनिष्ठ यंत्री तथा लाईन हेल्पर था चेकिंग हेतु ग्राम रतवा गये थे । वहां उझावल फीडर पर कोमलसिंह के खेत में अवैध रूप से ट्रांसफार्मर जोडकर उसकी एल०टी०लाइन से बल्लियों के सहारे 400 फीट की दूरी पर 6 एच०पी० का पंप चलाना पाया गया था । मौके पर चेकिंग पंचनामा प्र०पी००१ बनाया था । उस समय मौके पर बिक्रमसिंह उपस्थित था जिसने कि आरोपी का लडका होना बताया था । उसके हस्ताक्षर पंचनामा पर सी से सी भाग पर हैं तथा डी से डी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं । पंचनामा के बाद अग्रिम कार्यवाही हेतु कनिष्ठ यंत्री को सौंपा गया था ।

7— परिवादी पक्ष की ओर से पेश अन्य साक्षी राजेश शर्मा अ०सा०1 ने भी उक्त प्रकार से कथन करते हुये आरोपी के खेत में विद्युत पंप तार जोड़क अवैध रूप से चलना और चेकिंग पंचनामा प्र०पी० 1 बनाया जाना बताया है । साक्षी आर०एस०गौड अ०सा०2 के द्वारा भी इसी प्रकार का कथन करते हुये आरोपी मुंशीसिंह के द्वारा अपने खेत में 5 एच०पी० का सिंचाई पंप एल०टी०लाईन से लकड़ी के खम्बे लगाकर पंप चलाकर विद्युत की चोरी करना बताया है और मौके पर मुंशीसिंह का लडका बिक्रमसिंह मिलना बताया था और कार्यपालन यंत्री के द्वारा मौके पर चेकिंग पंचनामा बनाया जाना उस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है ।

8— उपरोक्त चेकिंग की कार्यवाही तथा पंचनामा प्र०पी० 1 बनाये जाने का जहां तक प्रश्न है । इस संबंध में पी०के०हजेला अ०सा०1ए के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि मौके पर आरोपी मुंशीसिंह मौके पर नहीं मिला था । जो लडका मौके पर मिला था वह मुंशी सिंह का लडका होना बता रहा था । किन्तु इस संबंध में प्रथक से जांच या तस्दीक नहीं की थी कि वह मुंशी सिंह का लडका है या नहीं । निश्चित तौर से यदि कथित उपभोक्ता जो कि खेत जैसे खुले स्थान पर मौजूद नहीं मिला था । उक्त खेत उसी का है इस आशय का भी कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया है और न ही इस बात की कोई तस्दीक करायी गयी कि मौके पर बताया जा रहा मिला हुआ व्यक्ति बिक्रमसिंह मुंशीसिंह का लडका ही था ।

9— पंचनामा प्र०पी०1 के संबंध में राजेश शर्मा अ०सा०1 के द्वारा बताया गया कि उस पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं है । कण्डिका 4 में इस बात को स्वीकार किया है कि ग्राम रतवा के हार में ऐसी पहचान नहीं कर सकता है कि किस व्यक्ति का कौनसा खेत है । मुंशीसिंह के खेत का सर्वे नम्बर उसे नहीं मालुम । मुंशीसिंह का खेत उसके नाम पर होने के कागज उसने नहीं देखे थे । निश्चित तौर से जबकि साक्षी को खेतों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है और न ही आरोपी मौके पर मिला है । इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर जबकि उसको न तो आरोपी के खेत के बारे में जानकारी है और न ही आरोपी मौके पर मिला था की गयी कार्यवाही के आधार पर परिवादी के परिवादपत्र की पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती ।

10— परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी कनिष्ठ यंत्री आर०एस०गौड के कथन में यह आया है कि मौके पर आरोपी मुंशीसिंह नहीं मिला था और इस बात की कोई तस्दीक या जांच नहीं की गयी थी कि मौके पर मिला पुत्र आरोपी का पुत्र है । उक्त साक्षी के कथन के आधार पर कि मात्र पंचनामा बनाया जाने के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के अपराध में लिप्त होना नहीं माना जा सकता ।

11— यह उल्लेखनीय है कि पंचनामों की कार्यवाही के संबंध में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को

परिवादी पक्ष के द्वारा साक्षी के रूप में नहीं बनाया है । यह भी उल्लेखनीय है कि निरीक्षण की कार्यवाही कार्यपाल यंत्री एस०के०सक्सेना के नेतृत्व में हुयी है । जैसा कि पंचनामा प्र०पी० 1 के अवलोकन से स्पष्ट है किन्तु परिवादी पक्ष ने एस०के०सक्सेना का कथन नहीं कराया है । जबकि इस संबंध में उक्त साक्षी सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था ।

12— इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अनंतिम निर्धारण आदेश जो प्रकरण के साथ संलग्न है वह भी किसी भी साक्षी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । अनंतिम निर्धारण आदेश में उपभोक्ता ने नोटिस नहीं लिया टीप लिखी है किन्तु उक्त नोटिस लेकर कौन गया था एवं किसके द्वारा नोटिस की तामीली करायी गयी ऐसा कहीं भी परिवादी पक्ष के द्वारा नहीं बताया गया है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की गयी है । इसके अतिरिक्त आवेदक को राशि जमा करने वाबत् अभियोगपत्र पेश करने के पूर्व सूचनापत्र भी किसी भी साक्षी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । ऐसी दशा में सूचनापत्र भेजे जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है ।

13— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता कि उसके द्वारा अपने खेत में सिंचाई करने हेतु विद्युत मोटर चलाने के लिये विद्युत की चोरी की गयी ।

14— तदनुसार आरोपी मुंशीसिंह के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होना न पाते हुये धारा 135 1 क विद्युत अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।

15— प्रकरण में जप्त सुदा एल्युमिनियम के नंगे तार दस फीट मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जायें अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार जप्त सुदा संपत्ती का निराकरण किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित कियागया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप कियागया

(डी०सी०थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विद्युत
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विद्युत
गोहद जिला भिण्ड